# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

**पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार** RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 02/2013

सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ, जिला—जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. हुसैन पुत्र मोहम्मद खां, कौम मुसलमान, निवासी—ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थितिः—

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही।

**निर्णय** **दिनांकः 29.11.2019**

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2008—2027 में ग्राम ताला की आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 1606 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 18 बीघा किस्म जमीन गैर—मुमकीन नला सिवायचक बिला लगानी दर्ज है। प्रार्थी तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि एकीकरण में इस आराजी के नये खसरा नम्बर 391 रकबा 18 बीघा किस्म जमीन गैर—मुमकीन नला दर्ज हुए। इस आराजी में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी हुसैन पुत्र मोहम्मद खां को निजी वन विकास हेतु दिनांक 19.12.1988 को 25 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई थी तथा अप्रार्थी के हक में नामान्तरणकरण संख्या 796 दिनांक 08.05.1990 स्वीकार किया गया। भू—प्रबन्ध 2008—2027 में दर्ज गैर मुमकीन नला की भूमि को आवंटन किया जाना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः अप्रार्थी के हक में किया गया 25 वर्षीय लीज आवंटन निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 391/3 रकबा 05 बीघा को वापिस जमाबन्दी भू—प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2008—2027 के अनुसार गैर—मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण में दिनांक 23.11.2012 को रेफरेन्स स्वीकार करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10.04.2013 को निर्णय पारित करते हुए यह स्पष्ट किया कि आवंटन आदेश दिनांक 19.12.1988 की पालना में नामान्तरकरण सं0 796 तस्दीक किया गया है, परन्तु प्रकरण में आवंटन आदेश दिनांक 19.12.1988 निरस्त नही किया गया है। उक्त आवंटन आदेश निरस्त नही होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा हस्तगत रेफरेन्स अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जा कर प्रकरण का पुनः परीक्षण तथा आवंटन आदेश की वैधानिकता परीक्षण कर पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया गया।

Scanned with CamScanner

हमनें पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–27 में ग्राम ताला की भूमि ख0नं0 502 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा एवं ख0नं0 606 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 18 बीघा किस्म गैर–मुमकिन नला सिवायचक बिला लगानी दर्ज है। भूमि एकीकरण में इस भूमि के नये खसरा नम्बरान 391 रकबा 18 बीघा किस्म गैर–मुमकिन नला दर्ज थी। इस भूमि में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी को निजी वन विकास हेतु दिनांक 19.12.1988 को 25 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई थी जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 796 दिनांक 08.05.1990 स्वीकार किया गया है। 25 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् लीज अविध दिनांक 18.12.2013 को पूर्ण हो चुकी है। मौके पर वादग्रस्त भूमि हाल ख0नं0 613 गत ख0नं0 391/3 गैर–मुमकिन नला है। यह भूमि वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा पानी बहाव के क्षेत्र में है। वादग्रस्त भूमि का निजी वन विकास के रूप में उपयोग नही हो रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्जित भूमि होने के कारण आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 को रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया गया। उक्त रेफरेन्स प्रेषित किये जाने के पश्चात् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 10.04.2013 को हस्तगत प्रकरण को अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार, जमवारामगढ़ से रिपोर्ट चाही जाने पर अवगत कराया गया कि वादग्रस्त भूमि के गत ख0नं0 391/3 के हाल ख0नं0 613 है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में रास्ते उपयोग में आ रही है। उक्त भूमि पानी के बहाव क्षेत्र में स्थित है तथा निजी वन विकास के रूप में भूमि का उपयोग नही हो रहा है। निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि अप्रार्थी को 25 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई थी। तहसलीदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि का उपयोग आवंटन की शर्तो के अनुरूप नही किया जा रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा पानी के बहाव क्षेत्र में है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में परिभाषित भूमिया आवंटन के लिए वर्जित है। तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 का बिना विचार किये विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है, जो शून्य आधारित आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2004 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगै0 में दिये गये निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि गैर–मुमकिन नला नही होने के संबंध में पूर्व में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा इसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किये

चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आवंटन की शर्तो के अनुरूप उपयोग में नही आ रही है। आवंटी को वादग्रस्त भूमि 25 वर्ष के लिये निजी वन विकास हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन की 25 वर्ष की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि वर्तमान में निजी वन विकास के उपयोग में नही आ रही है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी उक्त भूमि के लीज अवधि पूर्ण होने के पश्चात् निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि को निरस्त कर सिवायचक

Scanned with CamScanner

13

गैर–मुमकिन नला दर्ज करने की अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को की गई है अर्थात् वादग्रस्त भूमि की लीज का नवीनीकरण भी नही हुआ है। अतः विधि विरूद्ध रूप से हुसैन खां पुत्र मोहम्मद खां जाति–मुसलमान, निवासी–ताला को दिनांक 19.12.1988 को निजी वन विकास हेतु की गई भूमि का आवंटन निरस्त करने तथा इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने एवं पुनः सिवायचक गैर–मुमकिन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित है। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner